संख्या-109/2018/2993/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-43(बी)/2017

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2018

विषय:- प्रशिक्षण सत्र अगस्त/सितम्बर, 2017 से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में क्रियाशील किये गये कुल 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय, व्यवसाय कोपा/आई0टी0 के संचालन हेतु मशीनें और संज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय व स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3130/तीन/वि-4/ नये संस्थान/2014-15, दिनांक 03-08-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वीकृत किये गये 23 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कोपा/इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी व्यवसाय की मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय व स्थापना हेतु श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 575.00 लाख (रूपये पांच करोड पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) मशीनें और साज-सज्जा/ उपकरण और संयंत्र का क्रय भण्डार क्रय नियमों तथा समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एवं एन0सी0वी0टी0 द्वारा अनुमोदित लिस्ट के आधार पर किया जायेगा।

(2) मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्रों का क्रय मितव्ययता संबंधी अद्यावधिक शासनादेशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रधानाचार्य/निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता /पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। शेष बची धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब मशीनें और साज-सज्जा/ उपकरण और संयंत्र आदि की क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) जिस मद में व्यय हेतु साज-सज्जा/मशीनें और संयंत्र हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है, उसी मद हेतु ही धनराशि व्यय की जायेगी।

2- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-203-रोजगार-14-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त व्यवसाय/एकक खोला जाना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामें डाला जायेगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह शासन व वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- मशीनों तथा साज-सज्जा /उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स और इस सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार गठित क्रय समिति द्वारा अनुमोदित मानक सूची के अनुसार ही किया जायेगा। क्रय किये गये मशीनोंतथा साज-सज्जा /उपकरणों की प्रमाणित सूची एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। लघु उद्योग अनुभाग-5 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 10-03-2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही जो साज-सज्जा स्वीकृत की जा रही है , वह इन संस्थानों में पूर्व में स्वीकृत न किये जाने तथा उपलब्ध करायी जा रही साज-सज्जा संस्थानों को प्रथमबार दी जा रही है ओर वह अन्य संस्थानों में सरप्लस नहीं है का प्रमाण-पत्र धनराशि व्यय करने के पूर्व निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (द्वारा निदेशक)।
3- वित्त नियंत्रक,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- सम्बंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
6- वित्त(व्यय -नियत्रण) अनुभाग-11, वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश,125,जवाहर, भवन,लखनऊ।
8- क्रय अनुभाग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-109/2018 /2993/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2018-43(बी)/2017

दिनांक: 14 सितम्बर, 2018 का संलग्नक

क्र0 सं0	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम (जनपद)	प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण		निदेशालय की संस्तुति के क्रम में स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
		नाम	एकक	
1	बादलपुर, नोयडा	इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी	02 (01+01)	25.00
2	भोगांव, मैनपुरी	कोपा	02 (01+01)	25.00
3	लम्भुआ, सुल्तानपुर	कोपा	02 (01+01)	25.00
4	मेहनगर, आजमगढ़	कोपा	02 (01+01)	25.00
5	सवायजपुर, हरदोई	कोपा	02 (01+01)	25.00
6	बछरावां (विकास खण्डः शिवगढ़), रायबरेली	कोपा	02 (01+01)	25.00
7	करनैलगंज (विकास खण्डः परसपुर), गोण्डा	कोपा	02 (01+01)	25.00
8	ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	कोपा	02 (01+01)	25.00
9	चुनार (विकास खण्डः जमालपुर), मीरजापुर	कोपा	02 (01+01)	25.00
10	धौलाना, हापुड़	कोपा	02 (01+01)	25.00
11	खलीलाबाद, संत कबीर नगर	कोपा	02 (01+01)	25.00
12	शाहपुर, मुजफ्फरनगर	कोपा	02 (01+01)	25.00
13	मोरना, मुजफ्फरनगर	कोपा	02 (01+01)	25.00
14	पुरकाजी, मुजफ्फरनगर	कोपा	02 (01+01)	25.00
15	थाना भवन-1, शामली	कोपा	02 (01+01)	25.00
16	कुम्भी, लखीमपुर-खीरी	कोपा	02 (01+01)	25.00
17	धौरहरा, लखीमपुर-खीरी	इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी	02 (01+01)	25.00
18	इटवा-1, सिद्धार्थनगर	कोपा	02 (01+01)	25.00
19	कटरा शंकर नगर, बलरामपुर	कोपा	02 (01+01)	25.00
20	दहगवां, बदायूं कोपा	कोपा	02 (01+01)	25.00
21	कादर चौक, बदायूं	कोपा	02 (01+01)	25.00
22	खरखौदा, मेरठ	कोपा	02 (01+01)	25.00
23	मूण्डापाण्डे, मुरादाबाद	कोपा	02 (01+01)	25.00
			कुल	**575.00**

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।